

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.04.2021 को थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान खोहिया के पास से मु0अ0सं0 34/21 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त अफजाल नट पुत्र सुरेन्द्र नट निवासी खोहिया रतनपुरा थाना हलधरपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

128 शीशी (200 एमएल) अवैध देशी शराब बरामद, 05 गिरफ्तार—

आज दिनांक 23.04.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना रामपुर पुलिस द्वारा ताजपुर पुलिया के पास से गुफरान पुत्र नसुरूल्लाह निवासी रोपनपुर थाना रामपुर के कब्जे से 28 शीशी (200 एमएल) बन्टी-बबली अवैध देशी शराब, बेलौली चौराहा के पास से जसवंत राजभर पुत्र सुरेश राजभर निवासी ससना बहादुर थाना उभाव जनपद बलिया के कब्जे से 22 शीशी (200 एमएल) अवैध देशी शराब, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा सूर्यभान पुत्र लल्लन निवासी कलामुद्दीनपुर थाना मुहम्मदाबाद के कब्जे से 27 शीशी (200 एमएल) अवैध देशी शराब, संजय भारती पुत्र भुखई, सुभाश राम पुत्र श्यामजी निवासीगण सौतरवा थाना मुहम्मदाबाद दोनों के कब्जे से क्रमश 26-26 शीशी (200 एमएल) अवैध देशी शराब बन्टी-बबली बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना सम्बन्धित पर धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

आज दिनांक 23.04.2021 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान बलुआ पोखरा के पास से मु0अ0सं0 363,366 भादवि0 में वांछित अभियुक्त अभिमन्यू गोड पुत्र मोहन निवासी मलिकटोला थाना जियनपुर जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 18 व्यक्ति गिरफ्तार—

आज दिनांक 23.04.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा कमलेश यादव, रामअवध, निवासीगण ठाकुरगांव, रामप्रेवश निवासी पाउस थाना दोहरीघाट, थाना घोसी पुलिस द्वारा बलवंत, धनन्जय, मोनू, सोनू निवासी रामपुर टडवा थाना घोसी, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा सतेन्द्र राय निवासी भदसा मानोपुर, वसीम, साहिद, हरिश्चन्द्र, अमरजीत, सागर निवासीगण फतेहपुर तालनर्जा थाना कोपागंज, थाना रानीपुर पुलिस द्वारा धनन्जय सिंह, अरविन्द सिंह, चन्द्रशेखर निवासीगण चकिया थाना रानीपुर, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा रामकिसून, सुरेन्द्र निवासीगण इन्दरपुर भलया थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।